

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 16/08/2016

“ सरकार इस प्रकार के कार्य बल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ”

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की मुंबई और नवी मुंबई स्थित मुंबई के बाहर स्थित इकाइयों तथा संघटक इकाइयों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के वर्ग ख के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

पद सं.	पद का नाम एवं वेतन विवरण	इकाई	रिक्तियों का विवरण		
			अनारक्षित	ओबीसी	कुल
डीआर01	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (वेतन बैंड 2: ₹. 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹. 4200/-) के साथ केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्ता	पुरुष सचिवालय मुंबई	01	-	01
		भापअ केंद्र, ट्रांबे	-	01	01
		एमडी, ईआर, जमशेदपुर	-	01	01
		एमडी, सीआर, नागपुर	01	-	01
		आरएमपी, मैसूरु	01	-	01
		भापअ केंद्र, जीएसओ (तारापुर)	01	-	01
		आरआरकैट, इंदौर	01	-	01
		आईजीकार, कलपाक्कम	01	-	01
		कुल	06	02	08

2. शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में (अथवा) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में (अथवा) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में (अथवा) हिन्दी/ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या किसी अन्य विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम रहा हो (अथवा) मुख्य विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक डिग्री या उनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा मुख्य विषय रहा हो और साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो या किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय या भारत सरकार के किसी उपक्रम में हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव हो ।

3. दिनांक 16/08/2016 को आयु सीमा: दोनों पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं सीमा में छूट निम्नानुसार है :

अभ्यर्थियों की श्रेणी	अधिकतम आयु (वर्ष में)	आयु में छूट के लिए शर्त
सामान्य अभ्यर्थी	28	
अन्य पिछड़ी जाति	31	जाति प्रमाणपत्र, गैर नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र सहित निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूचियों में शामिल होनी चाहिए।
जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में अधिवासित व्यक्तियों के लिए	33	जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, बशर्ते संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार ही किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। प्रमाणपत्र इनमें से किसी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। 1. जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप में रहते थे (अथवा) 2. अन्य प्राधिकारी जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो, उससे इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं।
शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु	सामान्य-38 ओबीसी-41	केंद्र सरकार द्वारा अशक्त से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमावली के अनुसार, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जिन व्यक्तियों की अशक्तता अस्थायी है उनका प्रमाणपत्र पांच वर्षों की अवधि हेतु मान्य रहेगा। चिकित्सा बोर्ड को इस प्रकार के प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करनी होगी जिस मामले में अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। वे व्यक्ति जिनकी अशक्तता स्थायी है उनके प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध दर्शाये जा सकते हैं। सुनने की क्षमता कम होने का अर्थ है बातचीत करने की आवृत्ति रेंज में बेहतर क्षमता वाले कान में 60 डेसिबल अथवा अधिक क्षति। शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

विभागीय अभ्यर्थी (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए)	सामान्य-33 ओबीसी-36	दिनांक 16/08/2016 तक समान अथवा संबद्ध संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार/नियमित सेवा पूरी की हो।
भूतपूर्व-रक्षाकर्मी	नियमानुसार	<p>भूतपूर्व रक्षाकर्मी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में किसी भी रैंक में सेवा की हो चाहे वह योधी हो अथवा अयोधी और</p> <p>1) जो इस प्रकार की सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पेंशन लेने के बाद स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं/हुए हैं अथवा</p> <p>2) जिन्हें सैनिक सेवा/उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्य मुक्त किया गया हो और चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो।</p> <p>3) जिन्हें स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप उनके द्वारा अनुरोध न किए जाने पर भी ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो अथवा</p> <p>4) जो अपने अनुरोध के अलावा नियुक्ति की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बरखास्तगी द्वारा ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उपदान (ग्रैच्युईटी) प्रदान की गई हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं।</p> <p>(क) लगातार मूर्त सेवाओं हेतु पेंशन धारक (ख) सैनिक सेवाओं के कारण हुई अशक्तता हेतु पेंशन (ग) वीरता पुरस्कार विजेता</p>

टिप्पणी:

- कुछ अन्य वर्गों यथा 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों, भूतपूर्व रक्षाकर्मियों, प्रत्यावर्तियों, छंटनीकृत कर्मचारियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों, खिलाड़ियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं जिन्होंने दुबारा शादी नहीं की आदि को भी नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में उपयुक्त छूट दी जा सकती है।
- जिन भूतपूर्व रक्षाकर्मियों ने अपने पुनः नियोजन हेतु भूतपूर्व रक्षाकर्मियों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करने के बाद नियमित आधार पर ग्रुप सी एवं डी पदों में केंद्र सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है वे भूतपूर्व रक्षाकर्मी की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
- आयु सीमा उसी तारीख को निर्धारित की जाएगी जो भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख होगी।
- केवल वही जन्मतारीख स्वीकार की जाएगी जो एसएससी/माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र में इंगित होगी। इसे बदलने के लिए बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

4. आवेदन शुल्क

श्रेणी सं.	पद	शुल्क	अभ्युक्तियां
1	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	₹ 150	महिला अभ्यर्थीगण भूतपूर्व रक्षा कर्मी और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को आवेदन शुल्क से छूट है।
<p>1. आवेदन शुल्क के भुगतान के संबंध में, अभ्यर्थी, भापअ केंद्र के वेबसाइट http://www.barc.gov.in से थ्री फोल्ड चालान डाउनलोड कर सकते हैं और भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में इसका भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा "संस्थान प्रति" अंकित वाला चालान का हिस्सा जांच परीक्षा/लिखित परीक्षा के समय जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>2. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित नहीं रखा जाएगा।</p>			

5. चयन की पद्धति:

प्रारंभिक स्क्रीनिंग और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर चयन किया जाएगा। सभी परीक्षाएं मुंबई में आयोजित की जाएंगी।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

प्रश्नपत्र-1	अंक-100	अवधि: 3 घंटे
1. हिंदी से अंग्रेजी में अनुच्छेद का अनुवाद (02 परिच्छेद) (एक अनुच्छेद तकनीकी एवं एक प्रशासनिक प्रकृति का होगा) (अनुवाद हेतु लगभग 250 शब्द होंगे)		: 25 अंक
2. अंग्रेजी से हिंदी में अनुच्छेद का अनुवाद (02 अनुच्छेद) (एक परिच्छेद तकनीकी एवं एक प्रशासनिक प्रकृति का होगा) (अनुवाद हेतु लगभग 250 शब्द होंगे)		: 25 अंक
3. हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद (सरकारी कार्य से संबंधित) (10 वाक्य)		: 15 अंक
4. अंग्रेजी से हिंदी में वाक्यों का अनुवाद (सरकारी कार्य से संबंधित) (10 वाक्य)		: 15 अंक
5. अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी में समानार्थी पर्याय (10)		: 10 अंक
6. हिंदी शब्द हेतु अंग्रेजी में समानार्थी पर्याय (10)		: 10 अंक

प्रश्नपत्र-1	अंक-100	अवधि: 3 घंटे
तार्किक परीक्षा एवं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणित		: 30 अंक
सामान्य हिंदी		: 25 अंक
सामान्य अंग्रेजी		: 25 अंक
हिंदी निबंध (300 से 350 शब्द)		: 10 अंक
दिए गए विषय पर हिंदी अथवा अंग्रेजी में परिच्छेद लिखना		: 10 अंक

टिप्पणी: प्रत्येक प्रश्नपत्र में 45% अंक अथवा 50% पूर्णयोग होना आवश्यक होगा।

6. कार्यो का स्वरूप:

1. अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना।
2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य कोई कार्य करना।

7. आवेदन कैसे करें:

1. ऑनलाइन आवेदनों के विवरण वेबसाइट www.barcrecruit.gov.in में उपलब्ध हैं।
2. जो व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं उन्हें लिखित परीक्षा के समय “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना चाहिए।
3. केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

8. सामान्य शर्तें:

- ए. केवल स्क्रीनिंग किए गए आवेदकों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
- बी. बाहर से आने वाले एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार यथा स्वीकार्य आने एवं जाने का रेल के लघुतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी का किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) दिया जाएगा। तथापि लिखित परीक्षा हेतु आने वाले उन एससी/एसटी अभ्यर्थियों को जो केंद्र/राज्य सरकार सेवाएं, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं एवं पंचायतों में पहले से ही कार्यरत हैं और यदि रेलवे छूट ले चुके हैं उन्हें यात्रा-भत्ता अनुमेय नहीं है।
- सी. जिन आवेदनों में विज्ञापन में मांगी गई वांछित अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है उन्हें किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड का निर्धारण, आवेदनों को प्राप्त करने की आखिरी तिथि के अनुसार किया जाएगा।
- डी. अभ्यर्थी सही सूचनाएं भरना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी गलत सूचनाएं देंगे उन्हें लिखित परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा।
- ई. विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार तैनात किया जाएगा, परंतु वे भारत के किसी भी भाग में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवा प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे।
- एफ. केवल विज्ञापन में दी गई अपेक्षाओं को पूरा कर लेने से लिखित परीक्षा आदि के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं है। जिन अभ्यर्थियों लिखित परीक्षा/नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाता है उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- जी. उपरोक्त दर्शायी गई रिक्तियां अनंतिम हैं और इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियों का भरा जाना भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगा। इन्हें नहीं भी भरा जा सकता है यदि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों में उन्हें नहीं भरे जाने का निर्णय लिया जाता है।
- एच. भारत सरकार में रोजगार हेतु ओबीसी प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।

आई. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और प्रवेशपत्र की प्रति डाउनलोड करें और लिखित परीक्षा के समय जन्म तारीख, शैक्षणिक योग्यताएं, जाति, अनुभव के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेजों की, स्वयं द्वारा साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत करें। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के समय इन प्रमाणपत्रों और अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी जहां लागू हो) के बिना आते हैं उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जे. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 16/07/2016 को खोली जाएगी।

के. भापअ केंद्र के पास किसी आवेदक की अभ्यर्थिता को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि आवश्यकता पड़े, तो भापअ केंद्र के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कोई सूचना जारी किए और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/विस्तृत/सुधार/परिवर्तन कर दे।

एल. आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अतः उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि बाद में यह पाया गया कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत है अथवा आवेदक पात्रता की किसी अन्य शर्त को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नियुक्ति केवल सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही होगी।

एम. यदि, अंकतालिका अथवा प्रमाणपत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं का माध्यम इंगित नहीं किया गया है तो मांगे जाने पर इस आशय का परीक्षा का माध्यम सूचित करने वाला प्रमाणपत्र (वेबसाइट में अपलोड किए गए प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां

नोट: अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय आनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट, प्रवेश पत्र (वेबसाइट से डाउनलोड करके) तथा प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और उनकी (स्वयं) साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के समय किसी समर्थित दस्तावेज के बिना उपस्थित होते हैं उन्हें जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वयं साक्षात्कृत एकल प्रति प्रस्तुत करें:

- i) शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (यथालागू) और (समुचित अंकतालिका द्वारा समर्थित जिसमें परीक्षा में लिए गए विषयों का उल्लेख हो) यदि, अंकतालिका अथवा प्रमाणपत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं का माध्यम इंगित नहीं किया गया है तो मांगे जाने पर समान हेतु परीक्षा का माध्यम सूचित करने वाला प्रमाणपत्र (वेबसाइट में अपलोड किए गए अनुलग्नक-5 में दिए गए प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

ii) जन्म तारीख/आयु का प्रमाण

iii) ओबीसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा गैर-नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र सहित जारी किया हुआ होना चाहिए और साथ में भी होना चाहिए। जाति/समुदाय का नाम अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल होना चाहिए। ओबीसी गैर-नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र का निर्धारण उसी तारीख को की जाएगी जो आनलाइन आवेदन की आखरी तारीख (16/08/2016) है। ओबीसी अभ्यर्थी को अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रारूप में गैर-नवोन्नत वर्ग की स्थिति का स्वयं घोषित पत्र भी संलग्न करना होगा।

iv) आयु में छूट तथा आरक्षण के प्रयोजन हेतु ओबीसी का तात्पर्य है 'भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग' के दिनांक 08.09.93 के का.जा.सं. 36012/22/93-ईएसटीटी (एससीटी) में परिभाषित, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. एवं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2013 के का.जा.सं.36033/1/2013-ईएसटीटी (रेस) में नवीनतम आशोधन के अनुसार। "ओबीसी वर्ग के व्यक्ति जो नवोन्नत वर्ग के नहीं हैं।"

v) अन्य कोई संबंधित प्रमाणपत्र (यथा लागू)

vi) केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं स्वायत्त निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन की हार्ड-कॉपी उचित माध्यम द्वारा उप स्थापना अधिकारी, भर्ती-III, सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, भापअ केंद्र, मुंबई-400 085 को भेजना होगा। उन्हें लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के समय 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

अनुलग्नक, www.barcrecruit.gov.in में 'Job Application' मेनू के अंतर्गत 'डाउनलोड फॉर्म' मेनू में उपलब्ध है।

“सरकार इस प्रकार के कार्य बल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

उपरोक्त विज्ञापन, भापअ केंद्र की वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Adol/d:\rajesh-2016\pd\recruitment\tr-iii\advertisement for jht.docx/राजेश-रश्मि/22.06.16

ONLINE applications are invited from eligible candidates for filling up of the **Group B post of Junior Hindi Translator** against the vacancies in BARC and Constituent units of DAE located in Mumbai and Navi Mumbai and outside Mumbai : -

Post No.	Name of the post & Pay particulars	Unit	Details of Vacancies		
			UR	OBC	Total
DR01	Junior Hindi Translator (Pay Band 2 : ₹ 9300 - 34800 + Grade Pay ₹ 4200) plus allowances like DA, HRA, Travelling allowance etc. as admissible under Central Govt. Rules	DAE Secretariat, Mumbai	01	-	01
		BARC, Trombay	-	01	01
		AMD, ER, Jamshedpur	-	01	01
		AMD, CR, Nagpur	01	-	01
		RMP, Mysuru	01	-	01
		BARC, GSO(Tarapur)	01	-	01
		RRCAT, Indore	01	-	01
		IGCAR, Kalpakkam	01	-	01
		TOTAL	06	02	08

2. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE : -

Master's degree of a recognized University in Hindi/English, with English/Hindi as a main subject at degree level **(or)** Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as main subjects at degree level **(or)** Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi/English medium and English/Hindi as a main subject at degree level **(or)** Master's Degree in Hindi /English or in any other subject with Hindi/English medium, with English/Hindi as a main subject or a medium of examination at degree level **(or)** Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and the other as a main subject plus recognized Diploma/ Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government offices including Government of India Undertaking.

3. AGE LIMIT As On 16/08/2016 :- Minimum 18 years and the relaxation in upper age limit will be admissible as shown below :-

Category of candidates	Maximum Age (in years)	Condition for relaxation of age
General Candidates	28	--
Other Backward Class	31	Caste certificate should be issued by authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the community should have been included in the Central lists of Other Backward Castes.
Persons domiciled in Kashmir Division of Jammu & Kashmir	33	Persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1 st January 1980 to the 31 st December 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Certificate should be from 1. The District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided (or) 2. Any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu & Kashmir to the effect that he had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1 st day of January 1980 to the 31 st day of December 1989.
Persons with Disability	Gen - 38 OBC - 41	According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or State Government. The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired Permanent disability, the validity can be shown as permanent. Hearing Impairment means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Physical deformity should not be less than 40 percentage.
Departmental Candidates (Central Government employees)	Gen - 33 OBC - 36	Should have rendered not less than 3 years continuous /regular service in the same or allied cadre as on 16/08/2016

Ex-Servicemen	As per extant Rules	<p>An ex-serviceman means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union and</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Who retired from such service after earning his/her pension. This would also include persons who are retired/retire at their own request by after having earned their pension or (2) Who has been released from such service on medical grounds attributable to military service/circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension (3) Who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment or (4) Who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharged on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely : <ol style="list-style-type: none"> (a) Pension holders for continuous embodied service (b) Pension with disability attributable to military service and (c) Gallantry award winners.
---------------	---------------------	---

Note:

1. The upper age limit is also relaxable suitably in cases of certain other categories such as Children/Family member of those died in 1984 riots, Ex-servicemen, repatriates, retrenched employees, Sports persons, widows, divorced women and women judicially separated from their husband and who are not remarried etc. as per extant rules.

2. Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Central Government in Group C & D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under ex-servicemen category.

3. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.

4. Only date of birth indicated in SSC/Secondary School Leaving Certificate/Birth Certificate will be accepted. No subsequent request for change shall be entertained.

4. APPLICATION FEE :-

Category No.	Post	Fee	Remarks
DR01	Junior Hindi Translator	₹ 150	Women candidates, Ex-servicemen and Physically challenged persons are exempted from Application fee.
<p>1. With regard to payment of application fee, the candidate may download the three fold challan from the BARC website http://www.barc.gov.in and make the payment in any branch of State Bank of India. The portion of the challan marked "Institution Copy" should be submitted by the candidate at the time of written test.</p> <p>2. Fees once paid shall not be refunded under any circumstances and cannot be held in reserve for any other examination.</p>			

5. METHOD OF SELECTION :-

Selection will be made on the basis of initial screening and then qualifying in written examination. All tests will be held in Mumbai.

The syllabus for the written examination will be as follows :

Paper-I	Marks 100	Duration : 03 hrs
----------------	------------------	--------------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Translation of paragraph from Hindi into English (02 Nos.)
(One each of Technical and Administrative in nature)
(Approximately 250 words for translation) | : 25 marks |
| 2. Translation of paragraph from English into Hindi (02 Nos.)
(One each of Technical and Administrative in nature)
(Approximately 250 words) | : 25 marks |
| 3. Translation of sentences in English (related to official work)
into Hindi (10 sentences) | : 15 marks |
| 4. Translation of sentences in Hindi(related to official work)
into English(10 sentences) | : 15 marks |
| 5. Synonyms for English words in Hindi (10) | : 10 marks |
| 6. Synonyms for Hindi words in English (10) | : 10 marks |

Paper-II	Marks : 100	Duration : 03 hrs
-----------------	--------------------	--------------------------

- | | |
|--|------------|
| Logical test and general knowledge and general mathematics | : 30 marks |
| General Hindi | : 25 marks |
| General English | : 25 marks |
| Hindi Essay (300-350 words) | : 10 marks |
| To write paragraph on the given subject either in Hindi or English | : 10 marks |

Note : Passing marks will be 45% in each paper or 50% aggregate.

6. NATURE OF DUTIES :-

1. Translation from English to Hindi and vice-versa
2. Any other work in connection with the implementation of Official Language policy

7. HOW TO APPLY :-

1. Details of online applications are available in website www.barcrecruit.gov.in
2. Persons working under the Central / State government, Public sector undertakings should submit their "NO OBJECTION CERTIFICATE" at the time of written test
3. Application will be accepted **online** only.

8. GENERAL CONDITIONS :-

- a. Only screened-in applicants will be called for written test.
- b. SC/ST outstation candidates will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as admissible under the Rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and those who have availed concession from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination.
- c. Applications, which are not in conformity with the requirements, will be rejected at any stage. **The eligibility criteria as prescribed in the advertisement will be determined with reference to the last date for receipt of application.**
- d. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for **written test**.
- e. Candidates selected against this advertisement will be posted at the discretion of the Competent Authority and are liable to serve in any part of India and in any constituent unit of the Department of Atomic Energy in India.
- f. Mere fulfilling the requirements as laid down in the advertisement does not guarantee candidates being called for written examination etc. No correspondence will be entertained with candidates not considered for written examination / appointment.
- g. The vacancies shown above are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued by Government of India from time to time.
- h. OBC certificate should be as per the prescribed format, for employment in Government of India.
- i. The candidates may download a copy of the online application and admit card and submit the same along with self attested copies of all relevant documents in support of date of birth, educational qualification, caste, experience etc. at the time of written test. Candidates who report for the written test without any of the supporting documents and NOC (where applicable) will not be allowed to appear in the written test.
- j. The facility of online application will be opened on **16/07/2016**.

- k. BARC reserves the right to reject or accept the candidature of any applicant at any stage. BARC reserves the right to cancel/restrict/enlarge/modify/alter the recruitment process, if need arises, without issuing any further notice or assigning any reason therefore.
- l. The applicant would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by them in their application form. They are therefore advised to ensure that they fulfill all the eligibility conditions before applying. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfill any other eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained. Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfillment of all the eligibility conditions.
- m. In case the medium of examination at Graduation & Post Graduation level, has not been mentioned in the Mark-sheet or Certificate, to sustain the same, a certificate indicating the medium of examination (as per the proforma uploaded in the website) will have to be submitted as and when asked for.

9. COPIES OF CERTIFICATES :-

NOTE: The candidates are required to produce printout of online application, admit card (to be downloaded from the website) & original certificates along with self-attested copies of certificates mentioned below ONLY at the time of Written Test. Candidates who report for the written test without any of the supporting documents will not be allowed to appear before the screening committee.

Candidates should submit along with their application, self attested SINGLE COPY of the certificates at the time of written test in support of :

- i) Educational qualification, experience (as applicable) and (supported by appropriate mark sheets indicating the subjects offered at the examinations). In case the medium of examination at Graduation & Post Graduation level, has not been mentioned in the Mark-sheet or Certificate, to sustain the same, a certificate indicating the medium of examination (as per the proforma uploaded in the website as given in *Annexure-5*) will have to be submitted as and when asked for.
- ii) Date of Birth/Proof of age.
- iii) OBC candidate's caste certificate should be issued by authorized authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central list of Other Backward Castes. The crucial date for determining the OBC non-creamy layer certificate will be the closing date of on-line application (16/08/2016). The OBC candidates should also enclose self declaration of non-creamy layer status in the format as given in *Annexure-2*
- iv) OBC for the purpose of AGE RELAXATION AND RESERVATION will mean "persons of OBC categories not belonging to the Creamy Layer" as defined in Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.93, modified vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36033/3/2004-Estt.(Res) dated 09.03.2004 and 14.10.2008, and latest modification vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No.360331/1/2013-Estt.(Res) dated 27.05.2013 (as per the format given in Annexure-3*).

- v) Any other relevant certificates (as applicable)
- vi) Candidates working under the Central/State Government, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies etc., after the submission of the Online application, should submit the hard copy of the application routed through proper channel to Deputy Establishment Officer, Recruitment –III, Central Complex, BARC, Trombay, Mumbai -400 085. They are also required to submit “NO OBJECTION CERTIFICATE” at the time of written test / skill test failing which, they will not be allowed to appear for the tests.

* Annexures are available in the menu 'DOWNLOAD FORMS' under 'JOB APPLICATION' menu in www.barcrecruit.gov.in

“GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY”.

RECORDS OF THE CANDIDATES NOT SELECTED SHALL NOT BE PRESERVED BEYOND 06 MONTHS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF SELECT LIST.

CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION

This advertisement is also available on BARC website www.barc.gov.in